क्रमांकः 6550/अका./का.प./2018 रायपुर, दिनांक : 20/06/2018

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की चालीसवीं* बैठक मंगलवार, दिनांक 19.06.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती – सदस्य
2. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा – सदस्य
3. डॉ. बशीर हसन – सदस्य
4. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव – सदस्य
5. डॉ. सोम कुमार चटर्जी – सदस्य
6. डॉ. चन्द्रशेखर चौबे – सदस्य
7. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट – सदस्य
8. श्री एस.के. चक्रवर्ती – सदस्य
9. श्री नरेशचन्द्र गुप्ता – सदस्य
10. प्रो. आर. पी. दीक्षित – सदस्य
11. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती – सदस्य
12. श्री शिवरतन शर्मा – सदस्य
13 श्री श्रीचंद सुन्दरानी – सदस्य
14 श्री नवीन मारकण्डेय – सदस्य
15 श्री सत्यनारायण शर्मा – सदस्य
16 श्री धनेन्द्र साहू – सदस्य

डॉ. संदीप वनसूत्रे, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 20.04.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 20.04.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 20.04.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 20.04.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्तावः–

3. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के लिये खेल सामग्री एवं अन्य सामग्री क्रय किये जाने हेतु 16,50,000/– की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के लिये खेल सामग्री एवं अन्य सामग्री क्रय किये जाने हेतु 16,50,000/– (सोलह लाख पचास हजार रू. मात्र)की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

4. डिजिटल मूल्यांकन कार्य देयक रु. 13,01,588=00 के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डिजिटल मूल्यांकन कार्य देयक रु. 13,01,588=00 (तेरह लाख एक हजार पांच सौ अठ्यासी रू. मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की।

5. श्री जानकी प्रसाद शर्मा बर्खास्त कर्मचारी के प्रकरण पर अंकेक्षण प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : श्री जानकी प्रसाद शर्मा बर्खास्त कर्मचारी के प्रकरण के निराकण करने हेतु दिनांक 20.04.2018 को माननीय कार्यपरिषद की 39वीं बैठक में विशेष अंकेक्षण की छायाप्रति माननीय सदस्यों को वितरित की गई थी, जिससे आगामी बैठक में चर्चा की जा सके। दिनांक 19.06.2018 को 40वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस प्रतिवेदन की संक्षेपिका, अभी तक हुई कार्यवाही विवरण के साथ–साथ अगामी बैठक में प्रस्तुत की जावें। इस कार्य के लिए तीन सदस्यों की समिति गठित की गई है–

(1) श्री बी. एल. तिवारी, समन्वयक,

(2) श्री नरेशचन्द्र गुप्ता, सदस्य,

(3) डॉ. ए. के. श्रीवास्तव, सदस्य।

समिति अपना प्रतिवेदन 20 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगी।

<u>वित्त विभाग से संबंधित प्रस्तावः–</u>

6. नवीन अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत जमा राशि के आहरण के संबंध में छ.ग. शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक 485/एफ 2015–4–01753/वित्त नियम/चार, दिनांक 27.11.2017 को अंगीकृत किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : नवीन अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत जमा राशि के आहरण के संबंध में छ.ग. शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक 485/एफ 2015–4–01753/वित्त नियम/चार, दिनांक 27.11.2017 को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

7. छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के वित्त निर्देश 34, 35/2018 क्रमशः पत्र क्रमांक 257/एफ–2013–04–00416/वि/नि/चार दिनांक 29.05.2018 एवं पत्र क्र. 259/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार दिनांक 29.05.2018 के अनुसार विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार महंगाई भत्ता 136 के स्थान पर 139 प्रतिशत प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के वित्त निर्देश 34, 35/2018 क्रमशः पत्र क्रमांक 257/एफ–2013–04–00416/वि/नि/चार दिनांक 29.05.2018 एवं पत्र क्र. 259/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार दिनांक 29.05.2018 के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षक/अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे शिक्षक/अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2017 से राज्य शासन के नियमानुसार महंगाई भत्ता 136 के स्थान पर 139 प्रतिशत प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की।

<u>परीक्षा/गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्तावः–</u>

8. वर्ष 2018 गोपनीय मुद्रण भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वर्ष 2018 गोपनीय मुद्रण का भुगतान रुपये– 25,61,745.00 (पच्चीस लाख इकसठ हजार, सात सौ पैंतालीस रुपये मात्र) भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

9. दिव्यांग छात्र श्री जयंत अग्रवाल, बी.एड्. प्रथम सेमेस्टर रोल नं.–1723244 को अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुमोदन करना।

निर्णय : दिव्यांग छात्र श्री जयंत अग्रवाल, बी.एड्. प्रथम सेमेस्टर रोल नं.–1723244 को अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुमोदन किया गया।

10. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2018 के निर्णयानुसार पारिश्रमिक परिवर्तन हेतु गठित समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।

निर्णय : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2018 के निर्णयानुसार पारिश्रमिक परिवर्तन हेतु गठित समिति की अनुशंसा में से (क) जिन मानदेय का अनुमोदन समन्वय समिति से किया जाता है उन्हें समन्वय समिति को प्रेषित करने का अनुमोदन किया गया। (ख) विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित किये जाने वाले मानदेय को अनुमोदित किया गया, परंतु यह (क) के समन्वय समिति से अनुमोदन के साथ ही प्रभावी होगा।

<u>NCNR विभाग से संबंधित प्रस्तावः–</u>

11. वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रस्तावित बजट में NCNR के व्यय हेतु विकास मद की राशि को सामान्य मद में स्थानांतरित किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रस्तावित बजट में NCNR के व्यय हेतु, लिपिकीय त्रुटि शब्द को विलोपित करते हुए, विकास मद की व्यय राशि रूपये 25,00,000/– (पच्चीस लाख रू. मात्र) को सामान्य मद में स्थानांतरित किये जाने का अनुमोदन किया गया।

<u>वित्त विभाग से संबंधित प्रस्तावः–</u>

12. विश्वविद्यालय भवन/परिसर में सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने हेतु राशि रु. 27.00 लाख प्रशासकीय स्वीकृति एवं अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : निविदा जेम (Gem) के माध्यम से, विश्वविद्यालय भवन/परिसर में सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने हेतु, रू. 27,00,000/– (सत्ताईस लाख रू. मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक सूची

1. IMPLEMENTATION OF UNIVERSITY FINANCE & HR MANAGEMENT SOFTWARE SOLUTION हेतु रूचि की अभिव्यक्ति के सम्बंध में।

निर्णय : IMPLEMENTATION OF UNIVERSITY FINANCE & HR MANAGEMENT SOFTWARE SOLUTION की EOI के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई साथ ही निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव अगामी बैठक में सम्पूर्ण कार्य योजना एवं लागत के साथ प्रस्तुत किया जाए।

2. कुलपति निवास में बांउड्री वॉल निर्माण कार्य के संबंध में।

निर्णय : कुलपति निवास में बांउड्री वॉल निर्माण कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुमानित लागत 38,25,000/– है।

3. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.06.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.06.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

माननीय कार्यपरिषद ने सैद्धांतिक निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय के अधिवक्ता जो कार्यपरिषद द्वारा नामित है, विश्वविद्यालय के प्रतिपक्ष में कोई प्रकरण में माननीय न्यायालय में जिरह हेतु दाखिल होते हैं तो, विश्वविद्यालय के इनपैनलमेन्ट लिस्ट से नियमानुसार कार्यवाही कर विलग किया जा सकता है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांकः 6551/अका./का.प./2018 रायपुर, दिनांक : 20/06/2018

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)